1441/15

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना – 800015.

रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल (अमान्यता प्राप्त) जिनका मुख्यालय बिहार राज्य में अवस्थित है, हेतु आवश्यक सूचना

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के संचालन हेतु सभी दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पारर्दिशता संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुसरण करें। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 29.08.2014 एवं पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2013 दिनांक 19.11.2014, जो सभी राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/महासचिव तथा कोषाध्यक्ष को संबोधित है, द्वारा दल की निधियों एवं निर्वाचन व्यय मामलों में पारदर्शिता एवं लेखांकन पर विस्तृत दिशा–निर्देश दिये गये हैं। इसी क्रम में भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 76/पीपीईएमएस/पारदर्शिता/2014 दिनांक 14.10.2014 द्वारा निदेशित किया गया है कि रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल (अमान्यता प्राप्त) (Unrecognized Political Party) अपने निर्वाचन खर्च, अंशदान रिपोर्ट और अपने लेखा–परीक्षित लेखे से संबंधित विवरण उस राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करायेंगे, जिस राज्य में राजनैतिक दल का मुख्यालय अवस्थित है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा उक्त रिपोर्ट/विवरण को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने की अंतिम तारीख निम्नवत् निर्धारित की गयी है :–

(1) अंशदान रिपोर्ट (फार्म–24क में) – अंशदान रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर या आयकर विवरणी दाखित करने के लिए सी0बी0डी0टी0 द्वारा यथा–विस्तारित वैसी तारीख तक।

(2) वार्षिक लेखा–परीक्षित लेखा – प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर तक।

(3) निर्वाचन व्यय का विवरण – विधान सभा निर्वाचन के पूरा होने के 75 दिनों और लोक सभा निर्वाचन के पूरा होने के 90 दिनों के भीतर।

उक्त के आलोक में वैसे सभी रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक दल (अमान्यता प्राप्त) जिनका मुख्यालय बिहार राज्य में अवस्थित है, से अनुरोध है कि आयोग द्वारा विहित समय और रीति के अनुसार उपर्युक्त रिपोर्ट/विवरण मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में जमा किया जाये।

(मिथिलेश कुमार साहु)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।